न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/169

उनवान

1. दृष्टि आयु 9 वर्ष पुत्री रघुपाल सिंह
2. हेमन्त आयु 6 वर्ष पुत्र रघुपाल सिंह
जातियान जाट निवासी ग्राम नरायना कटता तहसील डीग हाल निवासी भरतपुर नावालिगान जरिये सरपरस्त श्रीमती कल्पना कुमारी पत्नी रघुपाल सिंह माता खुद जाति जाट निवासी ग्राम नरायना कटता तहसील डीग हाल निवासी भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रघुपाल सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नरायना कटता तहसील डीग।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, डीग दिनांक 12.04.21 दिनांक दृष्टि बनाम रघुपाल सिंह मु0न0 131/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेश कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, डीग के आदेश दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दीनापुर एवं नरायना कटता तहसील डीग में स्थित है, जो प्रार्थी अपीलाण्ट की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रार्थी अपीलाण्ट को जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित हैं। विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी प्रार्थी अपीलाण्ट के पिता को उनके पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुयी है। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0 कर्ताखानदान होने के कारण विवादित आराजी संपूर्ण को अपने नाम करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी रैस्पो0 विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें अपीलाण्ट का हिस्सा जन्म से ही निहित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं ना ही प्रार्थना पत्र 212 के तीनों महत्वपूर्ण घटको प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की कोई विवेचना अपीलाधीन निर्णय में नहीं करते हुये, सरसरी तौर पर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वर्तमान में अपीलाधीन आदेश की आड में रैस्पो0 विवादित आराजी को विक्रय करने पर उतारू हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी के रैस्पो0 खातेदार हैं। बच्चो की ओर से पत्नी ने दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। बच्चे पत्नी के साथ ही रहते हैं। रैस्पो0 ही उनका पालन पोषण कर रहा है। तलाक आदि के भी मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें खर्चा 24000 तय किया हुआ है एवं रैस्पो0 उसे अदा कर रहा है। बच्चो के नाम बैंक एफ.डी. भी करा रखी हैं एवं पत्नी के नाम मकान का इकरारनामा है। खाते में बहुत सहखातेदार हैं। अतः स्थगन से अन्य सहखातेदारो को परेशानी होगी। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से विवादित आराजी पैतृक आराजी होना प्रमाणित है। स्वयं रैस्पो0 द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाव में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा दलील नहीं दी है, कि विवादित आराजी पैतृक ना हो। रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी विवादित आराजी के पैतृक नहीं होने बावत् कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करते हुये, मात्र रैस्पो0 के पक्ष में सहानुभूति वश तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि रैस्पो0 स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट्स को अपने पुत्र व पुत्री होना स्वीकार करते हैं। ऐसे में अपीलाण्ट के विधि अनुसार विवादित आराजी में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। दौराने वाद विवादित भूमि के विक्रय से वाद बहुलता, जटिलता उत्पन्न होगी। अतः विवादित भूमि की यथास्थिति सुविधा सन्तुलन को पुष्ट करती है। वैसे भी दौराने वाद, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन निरापद है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2021 अपास्त किये जाकर, वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने की पाबन्दी आयद की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

03-11-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर